



प्रेस विज्ञप्ति
31/01/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सट्टा मटका के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 30.01.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है, जिसमें 1 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है। उक्त संपत्तियां मनोज मालवीय नामक व्यक्ति की हैं, जो लोकेश वर्मा और निखिल हलभवी उर्फ अजय रतन राजपूत के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल था।

ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले के संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप जैसे धनगेम्स और अन्य सट्टा मटका ऐप संचालित किए जा रहे थे, ताकि आम जनता को लुभाया जा सके। ऐप उपयोगकर्ताओं को मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करने और यूपीआई के माध्यम से धनगेम्स वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने और सट्टेबाजी में शामिल होने की अनुमति देता था। इन सट्टा मटका ऐप के ज़रिए अर्जित अवैध धन को लोकेश वर्मा और मनोज मालवीय द्वारा डमी व्यक्तियों के नाम पर उनके केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग करके खोले गए फर्जी बैंक खातों के वेब के ज़रिए सट्टेबाजी ऑपरेशन को चलाने के लिए लूटा गया। बेनामी बैंक खातों में सट्टेबाजी के संचालन से उत्पन्न अपराध की आय का शोधन किया गया और संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।

इस मामले में पहले, 8.89 करोड़ रुपये का एक पीएओ जारी किया गया था और पीएमएलए, 2002 के तहत की गई तलाशी के दौरान 46 लाख रुपये भी जब्त किए गए थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।